देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

# मानक प्रचालन कार्यविधि

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
## उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

## नोट

# मानक प्रचालन कार्यविधि

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
## उत्तराखण्ड

**देहरादून, उत्तराखण्ड**

उत्तराखण्ड राज्य

# विवरणिका


1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 संवेदनशील स्थलों की पहचान व दस्तावेजीकरण
   - 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 6.1 प्रथम चरण
   - 6.2 द्वितीय चरण

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 7.1 प्रशासनिक कार्य
   - 7.2 सम्पादित प्रचालन पर विचार-विमर्श

8. चेकलिस्ट

## 1. संदर्भ

किसी भी प्रकार की आपदाओं से प्रत्यक्ष तौर पर सम्बद्ध न होने के बावजूद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आपदा प्रभावितों के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग के तौर पर है। आपदा के दौरान व बाद में लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की महती जिम्मेदारी इस विभाग पर होती है। आपदा के दौरान कार्यों एवं जिम्मेदारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निश्पादित करने के लिए विभाग को पूर्व में भी कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं और आपदा के बाद भी कुछ कार्यों को करना पड़ता है। इन पूर्व तैयारियों, आपदा के दौरान प्रतिवादन तथा बाद के कार्यों के लिए समय–समय पर विभाग के राज्य कार्यालय तथा सचिव आपदा प्रबन्धन की तरफ से विभाग को दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। ये दिशा–निर्देश आपदा काल में विभाग की गुणवत्ता एवं छवि को यथानुकूल बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह मानक प्रचालन कार्यविधि इन्हीं दिशा–निर्देशों एवं कार्यों का एक संकलित समूह है, जिसे अपनाकर विभाग आपदा के दौरान प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन कर सकता है।

## 2. उद्देश्य

मानक प्रचालन कार्यविधि बनाने के निम्नवत् उद्देश्य हैं –

- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का सन्दर्भ लेते हुए राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक की सभी इकाइयों के बीच कार्यों एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता विकसित करना।
- आपदा प्रभावितों को समय से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ।
- राहत एवं बचाव कार्यों को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु डीजल, पेट्रोल, गैस एवं केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

## 3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी किया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी –

### 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के निर्देशन में मई माह तक बाढ़, भूस्खलन व त्वरित बाढ़ के लिए इण्सीडेण्ट रिस्पान्स सिस्टम के अन्तर्गत प्रभावी ढंग से त्वरित कार्य करने तथा आपदा की स्थितियों में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य से लेकर तहसील स्तर तक आपदा प्रबन्धन दल का गठन कर नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा साथ ही रिपोर्टिंग हेतु उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा। स्तरवार विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

**मुख्यालय स्तर पर**

- अपर आयुक्त नोडल अधिकारी होंगे।
- संयुक्त आयुक्त लिंक अधिकारी होंगे जो राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को तत्काल रिपोर्ट करेंगे और दायित्वों का निर्धारण करेंगे।
- मुख्यालय के समस्त अन्य अधिकारी जैसे मुख्य विपणन अधिकारी, संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्त तत्काल विभागाध्यक्ष/ खाद्यायुक्त तथा नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

**मण्डल स्तर पर**

- क्षेत्रीय खाद्य आयुक्त मण्डल आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे।
- मण्डल आयुक्त विभागाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।

**जिला स्तर पर**

- जिला पूर्ति अधिकारी घटना के तत्काल बाद जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को रिपोर्ट करेंगे और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/ जिला अधिकारी के स्तर पर कार्यवाही करेंगे।

**तहसील स्तर पर**

- क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ वरिष्ठ विपणन अधिकारी स्तर तथा पूर्ति निरीक्षक उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

### 3.2 जोखिम आकलन

- राज्य स्तर पर अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मण्डल स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समन्वयन में मार्च–अप्रैल माह तक विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों तथा सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों के सर्वाधिक संवेदनशील विकासखण्डों एवं क्षेत्रों की पहचान कर लेगें।

### 3.3 संसाधन मानचित्रण

- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के निर्देशानुसार फरवरी–मार्च माह तक जिला पूर्ति अधिकारी आपूर्ति इन्स्पेक्टर के सहयोग से अनाज एवं खाद्य आपूर्ति करने वाले तहसील स्तर तक के खुदरा एवं थोक व्यापारियों, बेकरी तथा स्थानीय एवं आस–पास के पेट्रोल पम्पों को चिन्हित कर उनके नाम, पते व सम्पर्क नम्बर सहित सूची तैयार कर उसे जिला प्रशासन को उपलब्ध करा देंगे।

- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक के सहयोग से अपने–अपने जनपद के अन्दर स्थित सभी सस्ते–गल्ले की दुकानों एवं पेट्रोल पम्पों की जियो टैगिंग करवाई जायेगी।

- जिला पूर्ति अधिकारी इस सूची को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अद्यतन कराकर उसे एस0डी0आर0एन/आई0डी0आर0एन वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करा देंगे।

- जिला प्रशासन के निर्देश पर मार्च–अप्रैल माह तक जिला पूर्ति अधिकारी चिन्हित थोक व्यापारियों एवं खाद्य पैकेट आपूर्तिकर्ताओं से आगामी एक वर्श के लिए रेट कान्ट्रैक्ट कर लेंगे।

- सचिव, आपदा प्रबन्धन के निर्देशानुसार अप्रैल माह तक आवश्यक राहत सामग्री एवं राहत शिविरों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद हेतु आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित कर पूर्व में ही सामग्री का भण्डारण सुनिश्चित कर लिया जायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस हेतु राज्य स्तर पर अपर आयुक्त, खाद्य तथा जनपद स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

- जिला पूर्ति अधिकारी मार्च–अप्रैल माह तक जन वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) के अन्तर्गत अनाज व मिट्टी के तेल का रिजर्व स्टाक सुरक्षित रखवा लेंगे।

- जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मई माह तक जिला पूर्ति अधिकारी सभी चयनित पेट्रोल पम्पों को यह निर्देशित कर देंगे कि वे अपने पास 2000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टाक में रखना सुनिश्चित करें ताकि आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों हेतु वाहनों का सुचारू संचालन हो सके।
- जिला पूर्ति अधिकारी मई माह तक आपदा की स्थितियों में खाद्य पैकेटों एवं अन्य तरीके से सहायता करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों, व्यापारिक संगठनों की पहचान कर उनके नाम, पते, सम्पर्क नम्बरों सहित सूची तैयार कर लेंगे ताकि आवश्यकता होने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।



### 3.4 संवेदनशील समूहों की पहचान व दस्तावेजीकरण

- जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों की सूची पंचायतों के सहयोग से अपडेट कर लिया जायेगा। यह कार्य तहसील स्तर पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से किया जायेगा।

### 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर कराये जाने वाले पूर्वाभ्यासों में राज्य स्तर पर अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। तहसील स्तर पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूति निरीक्षक पूर्वाभ्यासों में अपनी सहभागिता करेंगे।

## 4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्य आपदा घटित होने के लगभग 12 घण्टों के बाद प्रारम्भ होता है। विभाग को सामान्यतः राज्य/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से आपदा की सूचना प्राप्त होगी। सूचना प्राप्त होने के बाद विभाग अपनी तैयारियों को प्रारम्भ कर देगा और उसके द्वारा आपदा से निपटने हेतु की जाने वाली पहली प्रतिक्रिया 12 घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, क्योंकि आपदा के शुरूआती घण्टों में तो लोगों की पहली प्राथमिकता प्रभावितों को आपदा क्षेत्र से बाहर निकालना तथा उनका उपचार आदि की रहेगी।

इस प्रकार सूचना प्राप्त होने के बाद विभाग पूरी तरह राज्य अथवा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र व जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।

## 5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

आपदा की चेतावनी जारी होने की स्थिति में विभाग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहेगा है और राज्य एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क में रहेगा। जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी से जैसे ही निर्देश होगा, विभाग अपने दायित्वों को पूरा करने लगेगा। आपदा के समय विभाग का समन्वयन परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन के साथ रहेगा और विभाग के कार्यों की पूरी निगरानी व नियन्त्रण प्रशासन के हाथ में होगें।

### तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल1 एल2 व एल3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिवादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा–

**एल–1 आपरेशन**

यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते है।

**एल–2 आपरेशन**

इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

**एल–3 आपरेशन**

एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े

सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो।

## 6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

**प्रथम चरण**

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही आई0आर0एस0 के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर गठित टीम के सदस्य सक्रिय हो जायेंगे और राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे।

- आपदा की सूचना मिलते ही मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी तथा जनपद स्तर पर विपणन अधिकारी गोदामों, स्टोरों व पेट्रोल पम्पों के पास उपलब्ध सामग्री व उसकी मात्रा की जानकारी तत्काल प्राप्त करेंगे।

**द्वितीय चरण**

- राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में मानक अनुरूप सूखा भोजन – लइया, चना, बिस्किट, गुड़, मोमबत्ती, माचिस, पानी का पैकेट तैयार कर यथा आवश्यकता उपलब्ध करा दिया जायेगा। तहसील स्तर पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक उप जिलाधिकारी के निर्देशन में मानक अनुरूप पैकेट तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे।

- अधिक दिनों तक आपदा रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के आदेश पर जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी लंगर चलवाना सुनिश्चित करेंगें। लंगर चलवाने हेतु विभाग की तरफ से आटा, चावल, दाल, सब्जी, ईंधन (गैस सिलेण्डर) उपलब्ध कराया जायेगा।

- तैयार खाने के पैकेटों की गुणवत्ता जांच खाद्य सुरक्षा निरीक्षक करेंगे।
- परिवहन विभाग अथवा जिला प्रशासन की मांग पर जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देशानुसार राहत एवं बचाव कार्यों में लगी गाड़ियों में चिन्हित पेट्रोल पम्पों से यथा आवश्यकता व उपलब्धता के अनुसार फ्यूलिंग करायेंगे।

## 7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

### 7.1 प्रशासनिक कार्य

- राज्य स्तर पर आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, मण्डल स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक व जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपात स्थिति में मुनाफाखोरी, जमाखोरी एवं कालाबाजारी का स्थिति न उत्पन्न होने पाये और बाजार में सामग्रियों के मूल्य सामान्य बने रहें।

- आवश्यकता पड़ने पर आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेश राशनिंग व्यवस्था तथा खुले बाजार से बिक्री व्यवस्था लागू की जायेगी।

- सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में बाहर से आयी राहत सामग्रियों के रख–रखाव, प्रबन्धन व वितरण में जिला पूर्ति अधिकारी जिआ आपदा प्रबन्धन अधिकारी का सहयोग करेंगे।

### 7.2 सम्पादित प्रचालन पर विचार विमर्श

- आयुक्त/अपर आयुक्त के निर्देशन में संभागीय खाद्य नियंत्रक व जिला पूर्ति अधिकारी आपदा के दौरान हुए विभागीय नुकसान का आकलन तकनीकी विभाग के माध्यम से कराकर उसकी रिपोर्ट तथा मरम्मत/निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की मांग शासन/विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे।

- प्राप्त धनराशि के आधार पर क्षतिग्रस्त भवनों व विभागीय संसाधनों की मरम्मत सुनिश्चित की जायेगी।

- आगामी रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए आयुक्त/अपर आयुक्त के निर्देशन में संभागीय खाद्य नियंत्रक व जिला पूर्ति अधिकारी आपदा के दौरान विभाग द्वारा किये गये कार्यों एवं प्राप्त सीखों को दस्तावेजित करेंगे एवं उसकी प्रति राज्य मुख्यालय तथा राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

## 8. चेकलिस्ट

यह प्रपत्र जिला आपूर्ति अधिकारी (नोडल अधिकारी) द्वारा भरकर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/राज्य मुख्यालय पर जमा किया जायेगा।

| क्र.सं0 | कार्यवाही जो की गई | हाँ/नहीं | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | निम्न संस्थाओं/अभिकरणों से संचार व्यवस्था की गयी है –<br>क. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र<br>ख. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र<br>ग. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला प्रशासन<br>घ. जिला आपूर्ति कार्यालयों<br>ड़. सभी चिन्हित पेट्रोल पम्पों<br>च. विभाग राज्य मुख्यालय | | |
| 2. | जिला पूर्ति अधिकारी को विभागीय आपदा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। | | |
| 3. | विभागीय आपदा प्रबन्धन दल का गठन किया गया है। | | |
| 4. | विभागीय नोडल अधिकारी ने अनाज व खाद्य आपूर्ति करने वाले सभी स्तर के व्यापारियों को चिन्हित कर लिया गया है। | | |
| 5. | सभी गल्ला दुकानों/पेट्रोल पम्पों की जियो टैगिंग की गयी है। | | |
| 6. | जिला पूर्ति अधिकारी खाद्य पैकेटों का रेट कान्ट्रेक्ट कर लिये हैं। | | |
| 7. | अनाज व मिट्टी का तेल वितरण हेतु रिर्जव स्टाक सुरक्षित है। | | |
| 8. | नोडल अधिकारी द्वारा धार्मिक संस्थानों स्वैच्छिक संगठनों, ट्रस्टों का सूची तैयार कर उसे अद्यतन कर लिया गया है। | | |
| 9. | जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अर्न्तगत आने वाले परिवारों की सूची पंचायत के सहयोग से तैयार कर ली गयी है। | | |

# नोट



# नोट